



2026:AHC:27574

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1719 / 2026

डॉ. कालका प्रसाद

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व 5 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : विवेकानन्द यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेकानंद यादव तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना गया।
2. रिट-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह 06.06.2022 को वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाता के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। हालांकि, जी.पी.एफ. और अन्य पेंशन संबंधी लाभों के भुगतान को मंजूरी देने वाला आदेश विद्यमान है, लेकिन आज तक धनराशि का वितरण नहीं किया गया है।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट-याचिकाकर्ता के दावों का प्रथम दृष्टया महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
4. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट-याचिकाकर्ता महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ.प्र., लखनऊ प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत प्रतिवेदन, रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आज पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करें। उक्त प्रमाणीकरण प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 2 अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए याचिकाकर्ता के दावों का परीक्षण करेंगे और दो माह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेंगे।

(विकास बुधवार, जे.)

5 फरवरी, 2026

एसएफएच

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"